Doon University, Dehradun

<u>Point No.- 4 : </u>Information about Allotment of Land for the construction of Doon University

A- **Government order no**.	79(1) 18(1)/2005 dated 28th Feb 2005 & 470/18(1)/2005 dated 16th July 2005
Owner of Land	Doon University
Area of Land	25 Acres and 30 Acres -Total 55 Acres
Place	Mothrowala Road, Kedarpur, Dehradun
Tehsil	Dehradun
District	Dehradun
Purpose of land	Construction of Residential and Non Residential Building and Facilities for Doon University
B- **Government order no**.	73//18(1)/2006 dated 26th July 2011 and 278(1)/XVIII(II)/2011 dated 26th July 2011 (reallocated)
Owner of Land	Doon University
Area of Land	40.330 Hectare
Place	Village Chharba, Sahaspur
Tehsil	Vikasnagar
District	Dehradun
Purpose of land	Construction of Residential and Non Residential Building and Facilities for Doon University

For Terms and Conditions G.O. are attached

संख्याः 79(1)/18(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

राजस्व अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 2 फरवरी, 2005

विषयः—दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम केदारपुर जनपद देहरादून की 25 एकड़ भूमि उच्च शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या-2455/आ0ले0-04 दिनांक 13 नवम्बर, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-260/वि03अनु0-3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 के कम में जनपद देहरादून के ग्राम केदारपुर के खसरा नम्बर- 355 ग में से कुल 25 एकड़ (10.117 है0) भूमि दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1— भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्त्व की इमारत न हो।

2— जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो

3— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा। ...(2)

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- जिलाधिकारी, देहरादून।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या/2.1.2.1.प्र.स.शि./200
दिनांक....2.1.7.....2005

प्रेषक,

संख्या: 47 /18(1)/2005

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तरांचल शासन।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 16 जुलाई, 2005

विषय: दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अतिरिक्त 9.762 है0 भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या-142/12ए-94(2002-05) दिनांक 4 मार्च, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-260/वि0अनु0-3/2002 दिनांक 15-2-2002 के कम में अधिसूचना संख्या-एल0आर0 09/18(1)/2005 दिनांक 12 जुलाई, 2005 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नगर निगम देहरादून से पुनर्ग्रहित जनपद देहरादून की तहसील देहरादून के ग्राम इन्द्रपुर की खसरा नं0 38/2 रकबा 6.00 है0 भूमि एवं ग्राम केदारपुर की खसरा नं0 355 ग रकबा 0.022 है0, खसरा नं0 451 क रकबा 3.00 है0, खसरा नं0 398 रकबा 0.670 है0, खसरा नं0 355 ख रकबा 0.070 है0 भूमि अर्थात कुल रकबा 9.762 है0 भूमि को दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2-- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो तथा उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि हस्तान्तरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।

...(2)

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

2– कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या 73 / 18(1)/2006

प्रेषक,
एस0नपलच्याल,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तरांचल शासन।

राजस्व विभाग देहरादून: दिनांक: 27 मार्च, 2006

विषय:-दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम छरबा जनपद देहरादून मे 40.330 है0 अतिरिक्त भूमि निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या-947/12ए-22(205-06) डी0एल0आर0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2006 एंव शासनादेश संख्या-79(1)/18(1)/2005 दिनांक 28-2-2005, शासनादेश संख्या-470/18(1)/2005 दिनांक 16-7-2005 एंव शासनादेश संख्या-73/18(1)/2006 दिनांक 23-1-2006 कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-260/ वि0अनु0-3/ 2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 की व्यवस्थानुसार ग्राम छरबा तहसील विकासनगर जनपद देहरादून के खाता संख्या-1139 के खसरा नं0-253क रकबा 3.568है0, खसरा नं0-260ट रकबा 2.222है0, खसरा नं0-278ख रकबा 1.135है0, खसरा नं0-1530क रकबा 1.822है0, खसरा नं0-1531ख रकबा 2.729है0, खसरा नं0-1532ख रकबा 1.100है0 तथा खाता संख्या-1147 के खसरा नं0 260ख रकबा 14.187है0, खसरा नं0-1531क रकबा 3.223है0, खसरा नं0-1532क रकबा 2.284है0, खसरा नं0-1618 रकबा 2.060है0, खसरा नं0-17क रकबा 6.000है0 अर्थात कुल रकबा 40.330है0 भूमि दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

........(2)

File.

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गई है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु नियत प्राधिकारी, वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

2– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– एन0आई0सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
उप सचिव।